(ट) कुँए का निर्माण तथा मरम्मत कर, लघु सिंचाई कार्यों को हाथ में लेकर निजी तालाबों की खुदाई और मरम्मत तथा खेतों के नालों का पर्यवेक्षण कर सिंचाई के तहत् भूमि के क्षेत्र को बढ़ाना;

(ठ) सिंचाई स्कीमों के तहत् उपलब्ध जल को समय पर उपलब्ध कराना और बराबर वितरण करना और उसका पूर्ण उपयोग करना ।

7. पशुपालन के क्षेत्र में :–

(क) साँडों के द्वारा पशु नस्लों का सुधार;

(ख) आवारा बैलों का बधियाकरण कर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना तथा अनुरक्षण;

(ग) अनुदान देकर पशुओं, भेड़ों, पॉल्ट्रियों आदि के उन्नत प्रजनन की शुरूआत करना और लघु प्रजनन केंद्रों का अनुरक्षण;

(घ) संक्रमण रोगों पर नियन्त्रण और रोकथाम;

(ङ) उन्नत घास तथा पशु चारे की शुरूआत और उनके भण्डारण के लिए उपलब्ध कराना;

(च) प्राथमिक उपचार केन्द्र तथा पशु औषधालयों की शुरूआत तथा अनुरक्षण;

(छ) दूध आपूर्ति उपलब्ध कराना;

(ज) आवारा पशुओं की समस्या का समाधान ।

8. ग्रामीण तथा लघु उद्योग के क्षेत्र में :–

रोजगार बढ़ाने तथा लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से कुटिर, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों को प्रोतसाहन तथा विशेष रूप से :–

(क) उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण;

(ख) शिल्पकारों के कौशल में सुधार;

(ग) उन्नत उपकरणों का प्रचार;

(घ) खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड तथा अन्य अखिल भारतीय संगठनों द्वारा चलाई जा रही कुटीर, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों की स्कीमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।